इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालयः 6वीं मंजिल, प्लॉट नंबर 15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 44 गुरुग्राम–122003 हरियाणा ,दूरभाषः 1800–532–4444, पंजीकृत कार्यालयः इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 6वीं मंजिल, प्लॉट नंबर 15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 44 गुरुग्राम–122003

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (जिसे आगे नियम कहा जाएगा) के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे अधिनियम कहा जाएगा) के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए नीलामी बिक्री सूचना, एतद्‌द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी(ओं), सह–ऋणी(ओं) और गारंटर(रों) या उनके कानूनी उत्तराधिकारी(ओं) या प्रतिनिधि(ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति(एँ) इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जिसे आगे सुरक्षित लेनदार कहा जाएगा) के पास बंधक/प्रभारित है, जिसका कब्जा सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है जिसका पंजीकृत कार्यालय 6वीं मंजिल, प्लॉट नंबर 15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 4 गुरुग्राम हरियाणा–122002,है जिसे उधारकर्ताओं, सह उधारकर्ताओं और गारंटरों से सुरक्षित ऋणदाता को देय राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तिथियों पर **"जैसा है जहाँ है, "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जाएगा। बिक्री नीचे उल्लिखित स्थान पर अधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी।

ऋण खाता संख्या/एपी संख्या औरउधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/गारंटरों का नाम	धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस दिनांक और राशिः	कब्जे की तिथि और प्रकारः	आरक्षित मूल्यः	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समयः
HL11CHLONS000005057519 **श्री/श्रीमती शिमला बाई ऐरवाल, बाबू लाल ऐरवाल और मुकेश कुमार ऐरवाल**	12–09–24 और रु.5,19,275/– **बोली वृद्धि राशिः** 10,000/–	17–12–2024 **भौतिक कब्जा** आज तक कुल बकायाः 31.12.24 तक रु. 5,55,158/– (पांच लाख पचपन हजार एक सौ अट्ठावन रुपये)	रु.4,85,700/– (चार लाख पच्चासी हजार सात सौ रुपए) बयाना राशि जमा (ईएमडी): रु.48,570/– (अड़तालीस हजार पांच सौ सत्तर रुपए)	18 जनवरी 2025 (समय 10.00 पूर्वाह्न से 05.00 अपराह्न) **ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः** 21 जनवरी 2025 **नीलामी की तिथिः** 22 जनवरी 2025 (नीलामी समय 10.00 पूर्वाह्न से 5.00 अपराह्न)

अचल संपत्ति/सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरणः संपत्ति का वह सम्पूर्ण हिस्सा एवं अंश जो(पट्टा संख्या 1520, खसरा संख्या 367 ग्राम पंचायत नारेडा, पंचायत समिति बारां, जिला–बारां (राजस्थान) में स्थित प्लॉट/मकान वह सम्पूर्ण हिस्सा एवं अंश है, जिसका क्षेत्रफल 2250 वर्ग फीट है।

ईएमडी जमा करने का स्थानः इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, प्रथम तल, चार मूर्ति चौराहा के पास, कोटा रोड, बारां, राजस्थान–325205

नीलामी का स्थानः इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, प्रथम तल, चार मूर्ति चौराहा के पास, कोटा रोड, बारां, राजस्थान–325205

भुगतान का तरीकाः– सभी भुगतान इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किए जाएंगे।

बिक्री की विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट www.indiashelter.in देखें या अधिकृत अधिकारी –विनय राणा (7988605030)से संपर्क करें।

दिनांकः 21.12.2024 /स्थानः राजस्थान

(प्राधिकृत अधिकारी) इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
कार्यालयः यूनिट नंबर 761, 7वीं मंजिल वेगास मॉल, प्लॉट नंबर 06, सेक्टर–14, द्वारका, नई दिल्ली–110075
ई–मेलः info@newhabitat.in, info@savehfl.in वेबः www.savehfl.in, मो.: +91-9999694526

कब्जा सूचना

चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम 2002 का 54) (यहां के बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेन्ट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए नीचे वर्णित ऋणियों को बुलाने के लिए नीचे वर्णित तिथि पर एक मांग सूचना जारी की थी।

ऋणी राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्‌द्वारा ऋणी और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 व 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर नीचे वर्णित तिथि पर कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणी/गारंटर/गिरवीकर्ता और सर्वसाधारण को एतद्‌द्वारा संपत्तियों के साथ लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्तियों के साथ किया गया कोई लेन–देन सूचना में वर्णित राशि के लिए सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेन्ट लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। ऋणियों का ध्यान प्रतिभूति संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम 13 की धारा उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है।

क्र. सं.	ऋणी का नाम/सह–ऋणी/गारंटर	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना कब्जा सूचना	बकाया राशि
1.	1.खुशीराम पुत्र श्री रामरतन और 2. बबीता देवी पत्नी श्री खुशीराम, निवासी–पी नंबर 39, कच्ची बस्ती, सेक्टर–05, प्रताप नगर बम्बालारोड, सांगानेर, जयपुर 1 जी पी ओ, जयपुर, राजस्थान–302001 यहां भी: प्लॉट नंबर 85, श्री राम वाटिका–द्वितीय, फतहपुरा वास वाटिका, बाजडोली रोड, वाटिका, जिला जयपुर, राजस्थान–303905 यहां भी: बरदा की ढाणी, गांव शिवाड़, जिला स्वाई माधोपुर, राजस्थान–322704	आवासीय भूखंड/मकान नंबर 85, "श्री राम वाटिका–II", फतेहपुरा वास वाटिका, बाजडोली रोड, वाटिका, जिला जयपुर, राजस्थान–303905 (कुल क्षेत्रफल 80 वर्ग गज) की सारी पीस और पार्सल	04.10.2024 19.12.2024	रुपये 7,65,365/–(रुपये सात लाख पैंसठ हजार और तीन सौ पैंसठ केवल) 19.12.2024 तक उसपर भावी ब्याज व आकस्मिक व्यय व लागतों सहित ऋणखाता संख्या– **HSG/N/HEA/HOJ/0323/0003**

दिनांकः 19–12–2024, स्थानः जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी, सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

यूनिट 203 एवं 204, द्वितीय तल, ''ए'' स्कंध, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंडर मार्ग, सेवरी (पश्चिम), मुंबई–400015, महाराष्ट्र, सीआईएन नं.: U65922MH2005PLC272501

2002 के प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत माँग सूचना

जबकि, वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. ने अपने प्रधान कार्यालय मुंबई के माध्यम से निम्न वर्णित उन ऋणकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं को सूचना निर्गत की थी जो वीएचएफसीएल से अपने द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं के मूलधन के प्रतिभुगतान तथा ब्याज के भुगतान में चूक कर चुके हैं तथा उक्त सुविधाएं अनिष्पादनकारी परिसंपत्तियां बन चुकी हैं। उन्हें वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात पतों पर सूचनाएं निर्गत की गई थीं, जो प्राप्तकर्ताओं को प्राप्त हुए बिना ही वापस लौट आई थीं तथा इसीलिए एतद्‌द्वारा उन्हें उस सूचना के बारे में इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

ऋणकर्ता, सह–ऋणकर्ता का नाम तथा ऋण खाता संख्या	धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत माँग सूचना की तिथि एवं राशि	बंधककृत संपत्ति का विवरण
उपासना सिंह (आवेदक), ईशान सिंह (सह–ऋणकर्ता) LP0000000007858	11–नवम्बर–24 / रु. 31,65,167/– 7–नवम्बर–24 के अनुसार, राशि पर भावी ब्याज एवं शुल्कों के साथ	संपत्ति संख्या 1/36, क्षेत्रफल 125 वर्ग गज, वार्ड संख्या 1, खसरा संख्या 1151/3 का भाग, ग्राम महरौली, तहसील– हौज खास (महरौली), नई दिल्ली, 110030 के लाल डोरा की आबादी के भीतर स्थित। सीमा :– उत्तर– रोड 20 फीट, दक्षिण– स्कूल ग्राउंड, पूर्व– नेडकाव अपार्टमेंट, पश्चिम– अन्य प्लॉट।
मृत्युंजय कुमार (आवेदक), रश्मि कुमारी (सह–ऋणकर्ता), दिलीप कुमार (गारंटर) HL0000000010073	29–नवम्बर–24 / रु. 27,54,168/– 14–नवम्बर–24 के अनुसार, राशि पर भावी ब्याज एवं शुल्कों के साथ	प्लॉट संख्या 174 डी, फ्लैट संख्या 3 बी प्रथम तल, खसरा संख्या 490/106 ग्राम पटपड़गंज, एडीसी लैब के पास घरौंदा नीम बरेर पूर्वी दिल्ली नई दिल्ली दिल्ली 110091, क्षेत्रफल 100.1/9 वर्ग गज, सीमा :– उत्तर– संपत्ति संख्या 174–डी का हिस्सा, दक्षिण– संपत्ति संख्या 174–डी का हिस्सा, पूर्व– श्री हुदवारी लाल की संपत्ति, पश्चिम– स्कूल रोड।

आपको सूचना प्राप्त हो, इस हेतु वैकल्पिक सेवागत उपाय किए जा रहे हैं। उपरोक्त ऋणकर्ताओं, सह–ऋणकर्ताओं तथा / अथवा उनके गारंटरों (जहाँ कहीं लागू हों) को सलाह दी जाती है कि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों के अंदर बकाया राशि का भुगतान कर दें। बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर इस सूचना की तिथि के 60 दिवसों के समापन के उपरांत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधान के अनुसार आगे की कार्रवाइयां की जाएंगी।

कृपया यह सूचना प्राप्त करें कि उक्त सूचना धारा 13(13) के अंतर्गत भी है, जो ऋणकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं को यह सूचित करने के लिए है कि उक्त बंधककृत संपत्ति का विक्रय नहीं किया जाना चाहिए / उसे पट्टे पर नहीं दिया जाना चाहिए तथा उसका हस्ताँतरण नहीं किया जाना चाहिए।

दिनाँक : 21–12–2024
स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी,
वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड

पंजी. कार्यालय :– प्लॉट–15, छठा तल, सेक्टर–44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा–122 002.
शाखा कार्यालय : 143, द्वितीय तल, मेन रोड फेसिंग (आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर), सिविल लाइन्स, बरेली–243001, 173, नेहरू नगर, प्रथम तल, बी.एस.एम. चौक, रुड़की –247 667, 59, डी 1/डी 2, सिविल लाइन, द्वितीय तल, बाटा शोरूम के ऊपर, रुद्रपुर–263153, उत्तरांचल

अचल सम्पत्ति के लिए कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने इंडिया शेल्टर फाइनेंस ऐंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और (प्रतिभूति) हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना इसमें आगे वर्णित खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की थी, जिसमें कर्जदार और सम्पत्ति के स्वामी/प्रतिभू से बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। जबकि सम्पत्ति स्वामी और अन्य उक्त बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्‌द्वारा अधोवर्णित कर्जदारों तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति/यों का कब्जा उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। अब, कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को इन सम्पत्ति/यों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा इन सम्पत्ति/यों के संबंध में कोई भी संव्यवहार इंडिया शेल्टर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड की नीचे वर्णित बकाया राशि तथा उस पर ब्याज, लागत इत्यादि के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार/गारंटर (सम्पत्ति स्वामी) का नाम एवं ऋण खाता संख्या	प्रभारित/बंधक सम्पत्ति (सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड) का वर्णन	मांग सूचना की तिथि, मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि	कब्जा की तिथि
श्रीमती सोनिया सिंघल पत्नी सुनील कुमार गुप्ता, श्री सुनील कुमार गुप्ता पुत्र अशोक कुमार, उपरोक्त सभी का पता : चौधरियान रोड, मोहल्ला तेलियान, कस्बा झबरेड़ा, परगना मंगलौर, जिला हरिद्वार, रुड़की–247665, उत्तरांचल, अन्य पता : मकान नंबर 200, एनडी. खदक गंज कहारान एनडी खदक, एनडी. गंजेका पुलिस स्टेशन, झबरेड़ा **ऋण खाता सं. – LAROECLONS000005034711 एवं LA24CLLONS000005005889**	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : मकान नंबर 261, जो दो भाग में प्लॉट पर निर्मित है पहले भाग का परिमाप पूरब में 57 फीट, पश्चिम में 57 फीट, उत्तर में 57 फीट 3 इंच और दक्षिण में 58 फीट है तथा दूसरे भाग का परिमाप पूरब में 72 फीट, पश्चिम में 72 फीट, उत्तर में 18 फीट और दक्षिण में 17 फीट 3 इंच है, कुल क्षेत्रफल 4602 वर्ग फीट जो मकान नंबर 261, स्थित : मोहल्ला तेलियान, ग्राम झबरेड़ा, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार के साथ संबंधित है। चौहद्दी : पूरब : सुभाष चंद का मकान, पश्चिम : सुभाष चंद एवं अन्य का मकान, उत्तर : 15 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण : संजीव एवं अन्य का मकान तथा सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 4602 वर्ग फीट	मांग सूचना दिनांकित 29–06–2022 रु. 46,18,976/– (रुपए छियालीस लाख अठारह हजार नौ सौ छिहत्तर मात्र) 02–10–2024 तक बकाया, उस पर 03–10–2024 से भुगतान की तिथि तक ब्याज और अन्य प्रभारों तथा लागत सहित	18–12–2024 सांकेतिक कब्जा
श्री/श्रीमती ईशा, श्री/श्रीमती प्रवीण कुमार उपरोक्त सभी का पता : मकान नंबर 00, चकरपुर निकट शिव मंदिर, बाजपुर यूएस नगर उत्तरांचल–262401, अन्य पता : खाता संख्या 208 खसरा संख्या 167, ग्राम चकरपुर, तहसील बाजपुर, जिला उधम सिंह नगर–262401, उत्तराखंड **ऋण खाता सं. – HL26CHLONS000 005032903**	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : खाता संख्या 208 खसरा संख्या 167 मिन, ग्राम चकरपुर, तहसील बाजपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड के सभी हिस्से। सीमा:– पूर्व – मेघ राम का प्लॉट, पश्चिम – कुंदन का प्लॉट और 5 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर – सुरेश अग्रवाल का प्लॉट, दक्षिण – कुंवर पाल का मकान	मांग सूचना दिनांकित 10–07–2024 रु. 8,93,716/– (रुपये आठ लाख तिरानवे हजार सात सौ सोलह मात्र) 09–07–2024 तक बकाया, उस पर 10–07–2024 से भुगतान की तिथि तक ब्याज और अन्य प्रभारों तथा लागत सहित	18–12–2024 भौतिक कब्जा
श्री/श्रीमती राम निवास के सभी कानूनी वारिस, श्री/श्रीमती सुरेन्द्र कुमार सभी का पता : मोहल्ला कोरियान मीरापुर कटरा तिलहर शाहजहांपुर, निकट शिव मंदिर, 242301, उत्तर प्रदेश अन्य पता : मोहल्ला–कोरियान, कस्बा एवं पोस्ट–मीरापुर कटरा, तहसील–तिलहर, जिला–शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश–242301. **ऋण खाता सं. LA11VLLONS000005115886/AP-10259543**	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति मोहल्ला–कोरियान, कस्बा एवं पोस्ट–मीरापुर कटरा, तहसील–तिलहर, जिला–शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौहद्दी :– पूरब : मंगली का मकान, पश्चिम : राजेन्द्र का मकान एवं रास्ता, उत्तर : गली, दक्षिण : श्री राम का मकान	मांग सूचना दिनांकित 25–09–2024, रु. 2,43,044/– (रुपए दो लाख तैंतालीस हजार चौवालीस मात्र) 24–09–2024 तक बकाया, उस पर 25–09–2024 से भुगतान की तिथि तक ब्याज और अन्य प्रभारों तथा लागत सहित	18–12–2024 सांकेतिक कब्जा

स्थान : दिल्ली/एनसीआर तिथि : 21–12–2024

वास्ते इंडिया शेल्टर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (प्राधिकृत अधिकारी)

किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री सुधीर तोमर (+91 98184 60101)

वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

(पूर्व का मैसर्स थिरुमेनी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालय : नंबर 5बीसी–110, वरसिद्धि, आउटर रिंग रोड, सर्विस रोड, तीसरा ब्लॉक, एचआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बैंगलोर–560043, वेबसाइट www.varthana.com, ई–मेल : care@varthana.com, फोनः 080–68455777, शाखा कार्यालय : मौजा दाऊदपुर, दुकान नं. 9, डी.पी. कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, गोरखपुर–273001.

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) एवं (3) के तहत सूचना।

हम एतद्वारा यह सूचना आपको सर्व करते हैं, जिसकी विषय–वस्तु पर आप कृपया ध्यान दें : कि आप कर्जदार ने सह–आवेदकों/बंधककर्ताओं सहित इंडियन स्कूल फाइनेंस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, इसके पश्चात मूल ऋणदाता संदर्भित (आईएसएफसी) से ऋण सुविधा की स्वीकृति हेतु सम्पर्क एवं निवेदन किया। यह मांग सूचना 02.12.2024 को जारी की गयी जिसके विषय–वस्तु का प्रकाशन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार सूचना की सर्विस के लिए कर्जदार/सह–आवेदकों/बंधककर्ताओं सं. 3 और 4 को वैकल्पिक सर्विस के द्वारा किया जा रहा है क्योंकि प्रदत्त पते पर सूचनाएं सर्व नहीं की जा सकीं। आपके निवेदन और आग्रह पर, हमने निम्नलिखित ऋण सुविधाएं (इसके पश्चात सामूहिक रूप से ''ऋण सुविधा'' सन्दर्भित) स्वीकार कीं। विवरण नीचे उल्लिखित है :

ऋण खाता संख्या 1561050000006 **एवं** 1781060000001. स्वीकृत ऋण राशिः **रु.** 40,25,000/– 02–12–2024 को कुल देनदारी, **रु.** 62,16,621/– (**ब्याज की संविदात्मक दर के साथ**), कर्जदार, सह–आवेदकों और बंधककर्ताओं का नाम और पताः 1. **मेसर्स, भारतीय कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय,** अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व, पिपरसंडी, संकरपुर चौरा के पास, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश–273404. 2. **मेसर्स ग्राम विकास सेवा संस्थान,** प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व, पिपरसंडी, खजनी, संकरपुर चौराहा के पास, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश–273404। 3. **श्री सूर्य प्रकाश सिंह, पुत्र स्व. बालेंदा सिंह,** मकान नं. 249, न्यू कॉलोनी, दुगार्पुरम, बड़गो पपहरा, आर.बी. अकादमी के पास, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश – 273016। **इसके अलावाः श्री सूर्य प्रकाश सिंह, पुत्र स्वर्गीय बालेंदा सिंह,** मकान नं. 257, पिपरसंडी, बेलघाट, खजानी, न्यू कॉलोनी, दुगार्पुरम, बड़गो पपहरा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश–273404। 4. **श्रीमती पूजा सिंह, पत्नी सूर्य प्रकाश सिंह,** मकान नं. 257, पिपरसंडी, बेलघाट, खजनी, न्यू कॉलोनी, दुगार्पुरम, बड़गो पपहरा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश–273404। **इसके अलावाः श्रीमती पूजा सिंह, पत्नी सूर्य प्रकाश सिंह,** मकान नं. 249, न्यू कॉलोनी, दुगार्पुरम, बड़गो पपहरा, आर.बी अकादमी के पास, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश–273016। **इसके अलावाः श्रीमती पूजा सिंह, पुत्री श्री ए अरुणेंद्र सिंह,** भवरनाथ मंदिर, गुलाब नगर कॉलोनी, आजमगढ़, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश–276001। 5. श्री विनोद पाल, पुत्र रणविजय, अनैला कुबेरपुर, गोनर पोस्ट, अकेला, कुबेरपुर, बस्ती, उत्तर प्रदेश–272171

यह कि आपने समय–समय पर उपर्युक्त क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया और राशि का उपयोग किया और इसके अलावा, वित्तीय सहायता प्राप्त करते समय आपने उक्त समझौते/दस्तावेजों के अनुसार उक्त वित्तीय सहायता के पुनर्भुगतान के लिए एक वचन दिया। आपने कंपनी के पक्ष में प्रतिभूति हित सृजित करते हुए टाइटल डीड/पंजीकृत बंधक के जमा के माध्यम से एक बंधक भी बनाया है जिसका विस्तृत विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है।

कि आपने उपरोक्त क्रेडिट सुविधा का उपयोग करना जारी रखा, हालांकि, आप अनियमित हो गए और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में विफल रहे, हमारे बार–बार अनुरोध और कंपनी के अधिकारियों द्वारा याद दिलाने के बावजूद आप उक्त देय राशि/बकाया देनदारियों को चुकाने में विफल रहे और उपेक्षा की।

उपर्युक्त क्रेडिट सुविधा का संचालन और व्यवहार अनियमित हो गया है और आपके द्वारा मूल ऋण और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक के परिणामस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी संपत्ति वर्गीकरण से संबंधित निर्देशों/ दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण को गैर–निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तदनुसार ऋण खाते को 31.05.2024 को गैर–निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है और एतद्वारा उक्त ऋण/ऋण सुविधा को वापस लेते हैं और आपसे आह्वान करते हैं कि उक्त समझौते के तहत आपके द्वारा देय ब्याज और सभी राशियों सहित संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करें।

आपके द्वारा की गई चूक के कारण, आप संयुक्त रूप से और अलग–अलग 02.12.2024 तक **रु. 62,16,621/–** कुल बकाया राशि तथा भुगतान की तारीख तक, ब्याज की सहमत अनुबंध दर के साथ प्रासंगिक व्यय, लागत और अन्य शुल्कों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

इन परिस्थितियों में, हम एतदद्वारा आपसे उपर्युक्त **02.12.2024 तक रु. 62,16,621/– (रूपए बासठ लाख सोलह हजार छः सौ इक्कीस मात्र)** तथा 03.12.2024 से संविदात्मक दर पर भावी ब्याज और उस पर कानूनी लागत/शुल्क का इस नोटिस की तारीख से 60 (साठ) के भीतर भुगतान करने का आह्वान करते हैं। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के तहत इस सूचना की उपरोक्त शर्तों के अनुसार कंपनी को उपरोक्त राशि को आगे के ब्याज और आकस्मिक खर्चों के साथ चुकाने में विफल रहते हैं, तो कंपनी धारा 13 की उप–धारा (4) और उक्त अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों के तहत वर्णित सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगी।

आपको यह भी नोटिस दिया जाता है कि धारा 13 की उप–धारा (13) के संदर्भ में आप कंपनी की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा नीचे वर्णित कथित प्रतिभूत संपत्तियों को स्थानांतरित नहीं करेंगे।

यह नोटिस कंपनी के इस तरह के अन्य कार्यों या कानूनी कार्यवाही शुरू करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है, क्योंकि यह कानून के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के तहत अपने वैध देय राशि की वसूली के लिए आवश्यक है।

सूचित हों कि उपरोक्त विषय ऋण खाता संख्या इंडियन स्कूल फाइनेंस कंपनी से वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को असाइनमेंट डीड दिनांक 29–02–2024 के माध्यम से सौंपी गई है। इसके अलावा, वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने अब ऋणदाता की भूमिका निभाई है और अब आपके पास आपसे ऋण बकाया राशि को वैध रूप से वसूलने का अधिकार है। इसके अलावा, उपरोक्त संदर्भित ऋण खाता संख्याओं से संबंधित वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में इंडियन स्कूल फाइनेंस कंपनी के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित और अंतर्निहित प्रतिभूति हितों, गारंटी, प्रतिज्ञाओं के साथ ऋणी(ओं) द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता के संबंध में वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड में निहित हैं और वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड प्रतिभूत ऋणदाता के रूप में अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करता है।

यदि आपको इस नोटिस के जवाब में कोई अभ्यावेदन देना है, तो कृपया उसे अधिकृत अधिकारी, मैसर्स वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, वरसिद्धि, नंबर 5बीसी–110, तीसरी मंजिल, सर्विस रोड, 3सरा ब्लॉक, एचआरबीआर लेआउट, बैंगलोर–560043 को मार्क करें।

अचल संपत्ति (प्रतिभूत संपत्ति) का विवरणः आराजी नंबर आईसी मिन .353 हेक्टेयर, आराजी नंबर 1सी मिन माप क्षेत्र 0.428 हेक्टेयर और आराजी नंबर 1सी मिन माप क्षेत्र 076 हेक्टेयर, आराजी में अचल संपत्ति का समस्त भाग, क्रमांक 1 अंग माप क्षेत्रफल 0.174 हेक्टेयर, कुल क्षेत्रफल 1.031 हेक्टेयर, नया नंबर 1 मिन, स्थित मौजा, राजनाली, टप्पा – सिरसी, परगना, महुली पूरब, तहसील – धनघटा, जिला – संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश, सीमाः उत्तर सेः बाग अपारवल राज की भूमि, दक्षिण सेः भूमि तालाब, पूर्व द्वाराः सविताज देवी की भूमि, पश्चिम द्वाराः भूमि चंद्रभान।

दिनांकः 20.12.2024, स्थानः गोरखपुर प्राधिकृत अधिकारी, वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिसः 19–A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी है। ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की''धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के गैर निष्पादनीय आस्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणीयों/सह-ऋणीयों/ गारण्टर बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी/ऋणीयों के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित किये थे, नोटिस के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही करवाते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गत कदम उठाने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा खर्चो एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सूचना में निर्दिष्ट अपनी किन्ही प्रतिभूत आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) सपठित नियम 3 (5) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक सम्पत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी खर्चो प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय या अन्तरण के लिये नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके मुक्त करवा सकते है।

ऋण खाता संख्या / ऋणी/सहऋणी/बन्धकर्ता/गारन्टर का नाम	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(खाता सं.) L9001060131922110 **आकाश कुमार (ऋणी)**, जगदीश सैनी (सह-ऋणी)	15 अक्टूबर 2024 ₹ 621592/- रु. छह लाख इक्कीस हजार पांच सौ बानवे मात्र दिनांक 10 अक्टूबर 2024	संपत्ति स्थित खेत नं. 1335, सिकन्दराबाद नगर पालिका, जिला बुलन्दशहर, उत्तरप्रदेश **क्षेत्रफल 100 वर्ग गज**

स्थान : बुलन्दशहर दिनांक: 20–12–2024

प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

रिलायंस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 11वीं मंजिल उत्तर की ओर, आर–टेक पार्क, निरलॉन नॉलेज पार्क, पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे के पास, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई – 400063

कब्जा सूचना (अचल संपत्तियों के लिए) नियम 8(1) देखें

जबकि, रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत दिनांक 30.03.2022 के समझौते के तहत ट्रस्टी आरएआरसी 068 ट्रस्टट्रस्ट के रूप में अपनी क्षमता में कार्य कर रहे हैं और धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। (12) सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, दिनांक 02.09.2024 को एक मांग नोटिस जारी किया गया जिसमें उधारकर्ता और गारंटरों से उक्त नोटिस प्राप्त होने की तिथि. से 60 दिनों के भीतर राशि चुकाने का आह्वान किया गया।

उधारकर्ता और गारंटर राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए उधारकर्ता और गारंटर और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित संपत्ति पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के नियम 8 के साथ पठित दिनांक 18.12.2024 को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और गारंटरों और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति के साथ लेनदेन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेनदेन राशि और उस पर ब्याज के लिए रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा।

इन सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा –13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ता/गारंटर	गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरण	बकाया राशि
1. मेसर्स महेंद्र ग्लास इंडस्ट्रीज 2. श्री महेंद्र सिंह 3. श्री सतीश कुमार पुत्र श्री महेंद्र सिंह 4. श्री राजीव कुमार पुत्र श्री महेंद्र सिंह	खसरा मकान नंबर 1642, इंदिरानगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ में स्थित भूमि और भवन, खसरा नंबर 2407/1, भूमि माप 156.00 वर्ग गज श्री महेंद्र सिंह के स्वामित्व में है। सीमा निम्नानुसार हैः – पूर्व – 54′ अन्य प्लॉट, पश्चिम – 54′रास्ता, उत्तर– 26′ रास्ता, दक्षिण–26′ श्री महेश चंद शर्मा का प्लॉट	रु. 2,42,89,078.44/– (रुपए दो करोड़ बयालीस लाख उनासी हजार अठहत्तर और चौवालीस पैसे मात्र) 31.08.2024 देय है।

दिनांकः 18.12.2024
स्थानः मेरठ

हस्ता/–
(प्राधिकृत अधिकारी)
रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात – 362266
कॉर्पोरेट कार्यालयः जी कॉर्पोरेशन टेक पार्क, कासर वडावली, घोड़बंदर रोड, ठाणे–(एमएच) 400601

मांग सूचना (सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के तहत)

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों की गणना और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत नोटिस की प्रतिस्थापन सेवा।

जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, उधारकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है कि उन्होंने आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एबीएचएफएल) से प्राप्त क्रेडिट सुविधा के पुनर्भुगतान में चूक की है, इसलिए उनके ऋण खातों को की पुस्तकों में गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार इसके बाद, (एबीएचएफएल) ने उक्त उधारकर्ताओं के अंतिम ज्ञात पते पर वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस जारी किए हैं। इस प्रकार उनसे आह्वान किया जाता है और उनसे मांग की जाती है कि वे उक्त राशि पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज और प्रासंगिक खर्चों, लागत, शुल्क आदि के साथ पूरी बकाया राशि चुकाएं, जैसा कि उक्त मांग नोटिस में बताया गया है। हालांकि, डिमांड नोटिस भी है सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (सरफेसी नियम) के नियम 3 के अनुसार, प्रकाशन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है:

क्र. सं.	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता और गारंटर/सह–गारंटर के नाम तथा पता और ऋण खाता संख्या	एनपीए की तिथि	मांग सूचना की तिथि	डिमांड नोटिस के अनुसार/तिथि के अनुसार देय राशि
1	1. गोपाल बाबू प्रथम तल, प्लॉट नंबर तीसरा एफ–595, सेक्टर–3, वैशाली, तहसील एवं जिला–गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014 2. रेखा रानी प्रथम तल, प्लॉट नंबर तीसरा एफ–595, सेक्टर–3 3. वैशाली, तहसील एवं जिला–गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश– 201014 3. गोपाल बाबू क्वार्टर नंबर 58–एच, सेक्टर–4, एमबी रोड, पुष्प विहार, दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली– 110017 4. रेखा रानी क्वार्टर नंबर 58 –एच, सेक्टर–4, एमबी रोड, पुष्प विहार, दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली–110017 5. रेखा रानी, प्यकटचा बाल्मिक बस्ती, अतरौली, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश–202280 6. गोपाल बाबू सी/ओ डीडी दूरदर्शन मीडिया,डीडी न्यूज, दूरदर्शन भवन कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, दिल्ली–110001 ऋण खाता संख्या **LNDEL0HL-02210085195** एवं **LNDEL0HL-02210085196**	04.12.2024	16.12.2024 **10.06.2024 को जारी पुराना नोटिस वापस लिया गया। इस प्रकाशन को प्रभावी नोटिस माना जाएगा।**	रु. 12,73,840/– (बारह लाख तिहत्तर हजार आठ सौ चालीस रुपये मात्र) बकाया मूलधन, (उपार्जित सहित) के माध्यम से विलंब शुल्क) और ब्याज 13.12.2024 तक

अचल संपत्ति का विवरण) गिरवी रखी गई संपत्तिः आवासीय प्रथम तल का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल (बिना छत के) जिसका माप 31.94 वर्ग मीटर प्लॉट नंबर थर्ड एफ–595 पर निर्मित, सेक्टर–3, वैशाली, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014, और इसकी सीमा पूर्वः रास्ता 20 फीट, पश्चिमः प्लॉट नंबर 600, उत्तरः प्लॉट नंबर 596, दक्षिणः प्लॉट नंबर 594

हम यहां बताए गए उधारकर्ता से इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर हमें बकाया राशि (राशि) और उस पर अतिरिक्त ब्याज और लागत, शुल्क, खर्च आदि का भुगतान करने के लिए कहते हैं, ऐसा न करने पर हम स्वतंत्र होंगे, सुरक्षा हित को लागू करें, जिसमें लागत और परिणाम के अनुसार पूरी तरह से अपने जोखिम पर सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने और बेचने तक सीमित है।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप सभी को कंपनी की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। आपके द्वारा उक्त धारा का कोई भी उल्लंघन दंडात्मक प्रावधानों को लागू करेगा सरफेसी अधिनियम की धारा 29 और/या इस संबंध में किसी अन्य कानूनी प्रावधान के तहत निर्धारित।

कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के अनुसार, यदि एबीएचएफएल द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ एबीएचएफएल का बकाया बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय एबीएचएफएल को प्रस्तुत किया जाता है, सुरक्षित संपत्ति एबीएचएफएल द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएगी, और एबीएचएफएल द्वारा उस सुरक्षित संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

दिनांकः 21. 12.2024
स्थानः गाजियाबाद

हस्ता/–प्राधिकृत अधिकारी
(आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिसः 19–A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी है। ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की''धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के गैर निष्पादनीय आस्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणीयों/सह-ऋणीयों/ गारण्टर बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी/ऋणीयों के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित किये थे, नोटिस के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही करवाते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गत कदम उठाने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा खर्चो एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सूचना में निर्दिष्ट अपनी किन्ही प्रतिभूत आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) सपठित नियम 3 (5) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक सम्पत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी खर्चो प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय या अन्तरण के लिये नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके मुक्त करवा सकते है।

ऋण खाता संख्या / ऋणी/सहऋणी/बन्धकर्ता/गारन्टर का नाम	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(खाता सं.) L9001060125027156 व L9001060828543777 **वंसी ट्रेडिंग कम्पनी (ऋणी)**, श्रीमती नैना भाटी (सह-ऋणी), सचिन नागर (सह-ऋणी)	15 अक्टूबर 2024 ₹ 1319929/- रु. तेरह लाख उन्नीस हजार नो सौ उनतीस मात्र व ₹ 713768/- रु. सात लाख तेरह हजार सात सौ अड़सठ मात्र दिनांक 10 अक्टूबर 2024	संपत्ति स्थित खसरा नं. 642, गांव-रोजा जलालपुर, सीएलएम पब्लिक स्कूल के पास, परगना व तहसील-दादरी, जिला-गौत्तमबुद्ध नगर, उत्तरप्रदेश **क्षेत्रफल 174 वर्ग गज**
(खाता सं.) L9001060131123145 व L9001060836688686 **वंसी ट्रेडिंग कम्पनी (ऋणी)**, सचिन नागर (सह-ऋणी), श्रीमती नैना भाटी (सह-ऋणी)	15 अक्टूबर 2024 ₹ 2429789/- रु. चौबीस लाख उनतीस हजार सो सौ नवासी मात्र व ₹ 1111439/- रु. ग्यारह लाख ग्यारह हजार चार सौ उनतालीस मात्र दिनांक 10 अक्टूबर 2024	संपत्ति स्थित खसरा नं. 642, गांव-रोजा जलालपुर, सीएलएम पब्लिक स्कूल के पास, परगना व तहसील-दादरी, जिला-गौत्तमबुद्ध नगर, उत्तरप्रदेश **क्षेत्रफल 272.22 वर्ग गज**
(खाता सं.) L9001060130985166 **नागर डेयरी (ऋणी)**, श्रीमती जयवती बिष्ती (सह-ऋणी), मान सिंह नागर (सह-ऋणी), मनोज कुमार (सह-ऋणी)	15 अक्टूबर 2024 ₹ 1867912/- रु. अठारह लाख सड़सठ हजार नौ सौ बारह मात्र दिनांक 10 अक्टूबर 2024	संपत्ति स्थित खसरा नं. 2627-2, गढ़ मुक्तेश्वर परगना, बांगड़ वार्ड नं. 11, मोहल्ला आदर्श नगर में स्थित, हापुर, जिला-गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश **क्षेत्रफल 180 वर्ग गज**
(खाता सं.) L9001060137740974 **जयकरण (ऋणी)**, मुकेश (सह-ऋणी)	15 अक्टूबर 2024 ₹ 1227075/- रु. बारह लाख सत्ताईस हजार पचहत्तर मात्र दिनांक 10 अक्टूबर 2024	संपत्ति स्थित फ्रीहोल्ड, नगर पालिका सीमा के अंदर, खसरा नं. 443, आगापुर परगना, वाटर पॉइन्ट, दादरी, जिला-गौत्तम बुद्ध नगर, उत्तरप्रदेश **क्षेत्रफल 154 वर्ग गज**

स्थान : दिल्ली दिनांक: 20–12–2024

प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

यस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, सांताक्रुज ईस्ट, मुम्बई–400055
सीआईएनः L65190MH2003PLC143249, ई–मेल : communications@yesbank.in, वेबसाइट : www.yesbank.in

कब्जा सूचना [नियम 8(1) के तहत – अचल सम्पत्ति हेतु]

अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत यस बैंक का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित संबंधित कर्जदारों से कथित सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचनाओं में उल्लिखित राशि का भुगतान करने को कहते हुए कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचनाएं जारी की थी।

कर्जदारों के कथित राशि के भुगतान में असफल रहने के कारण कर्जदारों एवं जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में यहाँ नीचे उल्लिखित सम्पत्ति पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से सम्बन्धित कर्जदारों एवं जनसामान्य को एतद्वारा इन सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार यहाँ नीचे वर्णित राशि तथा उस पर अनुबंध दर पर ब्याज के लिए यस बैंक लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

कर्जदार का नाम	ऋण खाता सं.	सूचना राशि	मांग सूचना की तिथि पुनः कब्जे की तिथि
1. मैसर्स अलकननंदा ट्रेडर्स(कर्जदार) 2. सुश्री अनीता कुमार सैनी (गारंटर एवं बंधककर्ता) 3. श्री अरुण कुमार सैनी (गारंटर)	ओवरड्राफ्ट सुविधा खाता सं. 073184600000294 के तहत	रु. 27,09,604.02/– (रुपये सत्ताईस लाख नौ हजार छः सौ चार एवं दो पैसे मात्र) 01 अक्टूबर 2024 तक	04.10.2024 17.12.2024

गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरणः– संपत्ति एक प्लॉट संख्या 2010 वर्ग फीट खसरा संख्या 1685,1686 गांव सलेमपुर राजपुताना कृष्णा धाम परगना भगवानपुर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार में स्थित है। सीमाएंः पूर्व– 20 फीट चौड़ा, पश्चिम– 15 फीट चौड़ा, उत्तर– 20 फीट चौड़ा, दक्षिण– श्रीमती कविता दुइमान का प्लॉट

अधिनियम की धारा 13(8) के तहत कृपया ध्यान दें, यदि समस्त लागतों, प्रभारों और हमारे द्वारा किये गये व्ययों सहित हमारे सभी बकाये बिक्री या हस्तान्तरण की निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी समय अदा कर दिये जाते हैं तो हमारे द्वारा प्रतिभूति आस्ति की बिक्री या हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा और हमारे द्वारा प्रतिभूत आस्ति की बिक्री या हस्तान्तरण के लिए कोई कदम नहीं उठाया जायेगा।

स्थान : हरिद्वार
तिथि : 17.12.2024,

ह./– (अधिकृत प्राधिकारी)
यस बैंक लिमिटेड

U GRO CAPITAL LIMITED

चौथी मंजिल, टावर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क,एलबीएस रोड कुर्ला, मुंबई 400070

कब्जा–सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) के तहत यू जीआरओ कैपिटल लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय–चौथी मंजिल, टॉवर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुंबई 400070, में है के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित,धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 08.08.2024 को एक मांग नोटिस जारी कर कर्जदारों **1)मेसर्स श्री श्याम ऑटो इंडस्ट्रीज ,2) विकास शर्मा ,3) नेहा शर्मा जिनके पास ऋण खाता संख्या UGDELMC0000000901 और UGDELMC0000010990** है, को नोटिस में उल्लिखित राशि 08–08–2024 तक **रु.24,10,284/– (चौबीस लाख दस हजार दो सौ चौरासी रुपये मात्र)** और उस पर ब्याज को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा था।

कर्जदारों द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, कर्जदारों और आम जनता को एतद्‌द्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के उक्त नियम 8 के साथ पठित,उक्त अधिनियम की धारा 13 के उपधारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए **17 दिसम्बर, 2024** को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदारों और आम जनता को एतद्‌द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन करने पर यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड को 08–08–2024 तक **रु.24,10,284/– (चौबीस लाख दस हजार दो सौ चौरासी रुपये मात्र)** और उस पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उपधारा (8) के प्रावधानों के तहत ऋणकर्ता का ध्यान आकर्षित किया है ।

सुरक्षित परिसंपत्ति(यों) की अनुसूचीः

क्र. सं.	मॉडल	निर्माता	चालान संख्या
1.	**उच्च दाब डाई कास्टिंग मशीन, क्षैतिज कोल्ड चैंबर उच्च दाब डाई कास्टिंग मशीन जिसमें 180 टन का लॉकिंग बल है, साथ में इलेक्ट्रिकल्स और सभी मानक सहायक उपकरण।**	एस.एस. इंजीनियरिंग वर्क्स	एस.एस.ई./23–24/16
2.	**120 टन का लॉकिंग बल वाली दाब डाई कास्टिंग मशीन जिसमें इलेक्ट्रिकल्स और सभी मानक सहायक उपकरण हैं।**	एस.एस. इंजीनियरिंग वर्क्स	23

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 21.12.2024

हस्ता./– (नवीन कुमार) प्राधिकृत अधिकारी,
यूजीआरओ कैपिटल लिमिटेड

आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात- 362266
शाखा कार्यालय- आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, डी-17, बेसमेंट, सेक्टर 3, नोएडा, यूपी 201301

परिशिष्ट IV

[सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का नियम 8(1) देखें]

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** का अधिकृत अधिकारी है। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ने दिनांक 10–10–2024 को एक डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें नोटिस में उल्लेखित उधारकर्ता आशू और सबनम बेगम से **रूपये 19,82,788/- (उन्नीस लाख बयासी हजार सात सौ अट्ठासी रूपये केवल)** उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर की मांग की गई थी ।

उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित, इस 17 दिसम्बर 2024 दिन को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा **रूपये 19,82,788/- (उन्नीस लाख बयासी हजार सात सौ अट्ठासी रूपये केवल)** की राशि और उस पर ब्याज के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

अचल संपत्ति का विवरण

आवासीय फ्लैट नंबर यूजी–1 का वह सारा टुकड़ा और पार्सल, जिसका क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट यानी 55.74 वर्ग मीटर, ऊपरी भूतल पर बिना छत के, मिग, फ्रंट साइड, फ्रीहोल्ड संपत्ति सी1/50, का हिस्सा ब्लॉक–सी–1, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन II, ब्रह्मपुरा उर्फ भोपुरा, वार्ड परगना लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201005, और, **सीमाबद्धः पूर्वः** सड़क 30 फीट चौड़ी, **पश्चिमः** प्लॉट नंबर सी–1/29, **उत्तरः** प्लॉट नंबर सी–1/51, **दक्षिणः** प्लॉट नंबर सी–1/49

दिनांकः 17/12/2024
स्थानः लोनी, गाजियाबाद

प्राधिकृत अधिकारी
आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

एडलवेस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सीआईएनः U67100MH2007PLC174759
एडलवेस हाउस, ऑफ सी.एस.टी. रोड, कलीना, मुंबई–400098

परिशिष्ट IV (नियम–8(1))

कब्ज़ा–सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002(2002 का 54) के तहत भारतीय स्टेट बैंक के अधिकृत अधिकारी है और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 फरवरी, 2014 की मांग सूचना में उधारकर्ता मेसर्स नेट 4 इंडिया लिमिटेड (अब माननीय एनसीएलटी दिल्ली द्वारा पारित 20 सितंबर, 2024 के आदेश के अनुसार एनसीएलटी परिसमापन के अधीन) को उक्त सूचना में उल्लिखित राशि 12 फरवरी, 2014 तक 126,16,08,997.35 रुपये (एक सौ छब्बीस करोड़ सोलह लाख आठ हजार नौ सौ सत्तानबे रुपये और पैंतीस पैसे मात्र) , साथ ही उस पर अतिरिक्त ब्याज, लागत और व्यय भी शामिल है, का भुगतान करने के लिए कहा गया है, को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया चुकाने के लिए कहा गया था। एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत, भारतीय स्टेट बैंक ने 11 अगस्त 2014 को असाइनमेंट समझौते के तहत नेट 4 इंडिया लिमिटेड के ऋण को एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी ट्रस्ट एससी 30 के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत) को सौंप दिया है।

उधारकर्ता बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव ऋणी (परिसमापक श्री नीरज कुमार के माध्यम से), बंधककर्ता, गारंटर और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, 19 दिसंबर, 2024 को यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति पर भौतिक कब्जा ग्रहण कर लिया है।

उधारकर्तां , बंधककर्ताओ, गारंटरों को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति का किसी भी प्रकार का लेन–देन करने पर, 20 सितंबर, 2024 (परिसमापन प्रारंभ तिथि) तक 4,68,51,34,223/– रुपये (चार सौ अड़सठ करोड़ इक्यावन लाख चौंतीस हजार दो सौ तेईस रुपये मात्र) की राशि के साथ–साथ उस पर आगे के ब्याज, लागत और व्यय की राशि के लिए एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी ट्रस्ट एससी–30 के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए) के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

प्रतिभूति संपत्ति का विवरण

प्लॉट नं. 25, ब्लॉक डी, सेक्टर 3, नोएडा, उत्तर प्रदेश में लीजहोल्ड (कार्यालय संपत्ति),. सीमाएं: पूर्व–प्लॉट नंबर 24, पश्चिम– प्लॉट नंबर 26, उत्तर–प्लॉट नंबर डी–3 और 4, दक्षिण – सड़क 18 मीटर चौड़ी।

दिनांकः 19 दिसंबर, 2024
स्थानः नोएडा

प्राधिकृत अधिकारी
एडलवेस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
(ईएआरसी ट्रस्ट एससी–30 के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए)

ई–नीलामी बिक्री सूचना

स्टैन ऑटो प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)

रजि. कार्या.: 58, पीकेटी–ई, सेक्टर–1 बवाना डीएसआईडीसी, नई दिल्ली, 110039
परिसमापकः विजय किशोर सक्सेना
परिसमापक पत्राचार पताः डी–69 (एलजीएफ), ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली–110065
ईमेलः cirp.stanautos@gmail.com, संपर्क नंबर– 9540011155

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत परिसंपत्तियों की ई–नीलामी बिक्री

नीलामी की तिथिः 15.01.2025, नीलामी का समयः अप. 3:00 बजे से अप. 4:00 बजे तक

(प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11.04.2023 के आदेश द्वारा नियुक्त परिसमापक के कब्जे में स्टैन ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाली संपत्तियों, संरचनाओं और संपत्तियों की बिक्री (परिसमापन में) जो स्टैन ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापन एस्टेट का हिस्सा है। संपत्तियों की बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई–नीलामी प्लेटफॉर्म **https://bankauctions.in** के माध्यम से की जाएगी।

परिसंपत्ति	आरक्षित मूल्य	ईएमडी	(राशि रु. में) वृद्धिशील राशि
कॉर्पोरेट देनदार की एक चालू कंपनी के रूप में बिक्री, जिसमें सीडी के स्वामित्व वाली संपत्तियां, संरचनाएं और संपत्तियां शामिल हैं (भूमि स्वामित्व के बिना)	3,77,60,000	37,76,000	1,00,000

ई–नीलामी के नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:

1. ई–नीलामी अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स बैंकऑक्शन्स.इन के माध्यम से 'जैसा है जहां है', 'जो है जैसा है', 'जो है वहां है और कोई संसाधन नहीं है' के आधार पर आयोजित की जाएगी।
2. नीलामी प्रक्रिया की समय–सीमा इस प्रकार हैः

नीलामी सूचना के प्रकाशन की तिथि	21.12.2024
संभावित बोलीदाता द्वारा पात्रता दस्तावेज के साथ ईओआई प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	04.01.2025
योग्य बोलीदाता/क्रेता द्वारा नीलामी के तहत परिसंपत्तियों के निरीक्षण और उचित परिश्रम की अंतिम तिथि	11.01.2025
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	13.01.2025
नीलामी की तिथि	15.01.2025

3. संपूर्ण ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज जिसमें परिसंपत्तियों का विवरण, ऑनलाइन ई–नीलामी बोली फॉर्म, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तें शामिल हैं, परिसमापक के पास उपलब्ध हैं और विशिष्ट अनुरोध पर साझा किए जा सकते हैं।
4. अधिक स्पष्टीकरण के लिए, कृपया अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करें।

हस्ता/–
विजय किशोर सक्सेना,
परिसमापक

तिथिः 21.12.2024
स्थानः नई दिल्ली

IBBI/IPA-001/IP-P01766/2019-2020/12708
ईमेलः cirp.stanautos@gmail.com संपर्क नंबर– 9540011155